

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक-एफ 21(1)(225)पूल/आईसीडीएस/92079-383 जयपुर, दिनांक: 25-5-18

समस्त उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग।

विषय :- नकारा घोषित व नकारा योग्य वाहनों को राजस्थान स्टेट मोटर गैराज में जमा करवाने एवं उन पर कार्यरत वाहन चालकों को निदेशालय में भिजवाने हेतु।

प्रसंग :- निदेशालय के पूर्व पत्रांक 16340-372 दिनांक 23.01.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा आपके कार्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों में जिन वाहनों को नकारा घोषित कर दिया गया है उन्हें स्टेट मोटर गैराज, जयपुर में दिनांक 01.06.18 से 05.07.18 तक जमा करवाने एवं उन पर कार्यरत वाहन चालकों को निदेशालय हेतु कार्य मुक्त कर भिजवायें।

इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि जो वाहन स्क्रेप में बेचने योग्य है उसको नकारा घोषित कमेटी द्वारा वाहन को स्क्रेप के रूप में नकारा किये जाने की स्पष्ट अभिशंखा भी होनी चाहिये, जब ही निदेशालय द्वारा स्क्रेप में बेचने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि नकारा वाहनों को शीघ्र नकारा घोषित करवाकर निर्धारित अवधि में मोटर गैराज में जमा करवाये तथा नकारा वाहनों पर कार्यरत वाहन चालक को कार्य मुक्त कर निदेशालय में भिजवायें।

25-5-18
प्रभारी अधिकारी (पूल)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 21(1)(225)पूल/आईसीडीएस/92079-383 जयपुर, दिनांक: 25-5-18
प्रतिलिपि :-

1. कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।

25-5-18
प्रभारी अधिकारी (पूल)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर